प्रधान कार्यालय

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन

प्रयागराज

संख्या- E/CORE/1/ 19/ Engagement/ 2015 दिनांक 02.04.2026

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्याः E (NG) 11/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024, 31.12.2024 एवं 20.06.2025 में निहित निर्देशों के अनुसार महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त कोर संगठन के विभिन्न इकाईयों (मुख्यालय/ प्रयागराज एवं रेल विद्युतीकरण/ सिकन्दराबाद) हेतु रिक्तियों को भरने के लिए सेवानिवृत्त अराजपत्रित कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित पारिश्रमिक के आधार पर अधोलिखित पद पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने के लिए निर्णय लिया गया है।

क्रम सं	पद का विवरण (संवर्ग)	पे लेवल	पदों की संख्या
1	मुख्य विधि सहायक	7	02

उपरोक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को दिनांक 14.10.2026 तक पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने हेतु आवेदन पत्र विनिदृष्ट प्रोफार्मा में आमंत्रित किये जाते है। पुनर्नियोजन की अवधि पद की उपलब्धता के आधार पर अगले 1 वर्ष तक की अवधि (आवश्यकतानुसार) अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप बढायी जा सकती है। शर्तें निम्नवत् होगीः-

1. इस योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.05.2026 होगी।
2. पुनर्नियोजन (Re-engagement) के लिए आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। माह अप्रैल-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके अराजपत्रित कर्मचारी आवेदन कर सकते है। सेवा प्रमाण पत्र पुनर्नियोजन (Re-engagement) के पूर्व जमा करना होगा।
3. रिक्त पदो के विरुद्ध सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियोजन (Re-engagement) उनके सेवा निवृत्ति के समय उनके द्वारा भारित समान वेतन स्तर वाले पद पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) किया जा सकता है।
4. इस अधिसूचना प्रकाशन तिथि से पूर्व पुनर्नियोजन (Re-engagement) के लिए प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होगें तथा स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
5. पुर्ननियोजित (Re-engage) हो जाने पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) की अधिकतम् अवधि दो वर्ष तक के लिए होगा एवं इसके आगे अवधि विस्तार हेतु प्रति वर्ष व स्कीम की अवधि तक नियंत्रक अधिकारी के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये जाने से दो वर्ष तक की अवधि अथवा कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा उपरोक्त कर्मचारियों का विभागीय नामिका प्राप्त होने तक की अवधि, जो भी पहले घटित हो, तक ही सीमित रहेगी एवं इनका कार्य विस्तार उपरोक्त शतों के अधीन स्कीम की अवधि विस्तार तक सीमित रहेगा।
6. पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये गये कर्मचारी के कार्य की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जायेगी। प्रशासन पुनर्नियोजन किये गये कर्मचारी को उनकी पुनर्नियोजन अवधि पूर्ण होने के समय के पूर्व भी आवश्यकता न होने तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा तत्काल बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के समाप्त की जा सकती है।

02.4.26

7. पुनर्नियोजन (Re-engagement) हेतु इच्छुक कर्मचारियों के पुनर्नियोजन से पहले 5 वर्ष का APAR भी देखा जायेगा। जिसकी ग्रेडिंग कम से कम Good होनी आवश्यक है।
8. यह पुनर्नियोजन (Re-engagement) केवल असंवेदनशील पदों पर ही किया जायेगा। पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुख्य विधि सहायक के पद पर निष्पादित किये जाने वाले कार्य/ नियम का पूर्ण ज्ञान तथा इस कार्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न साफ्टवेयर का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।
9. पुर्ननियोजित कर्मचारियों को कोर संगठन के किसी भी इकाई का प्रभारी (In-charge) नहीं बनाया जायेगा। उन्हें वित्तीय एवं D&AR अधिकार प्रदान नहीं किये जायेंगे तथा किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्रमाण जारी करने का अधिकार नहीं होगा। तदापि पुर्ननियोजित कर्मचारी वित्तीय एवं अन्य मामलों पर नियमित / सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने सुझाव दे सकते है।
10. पुर्ननियोजित कर्मचारियों के कार्य के घण्टे समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।
11. रिक्त पदो के विरुद्ध सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियोजन (Re-engagement) करतें समय मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकार से उचित श्रेणी चिकित्सा योग्यता (Medical Fitness) प्राप्त की जानी होगी।
12. पुनर्नियोजन (Re-engagement) कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG) 11/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024 में निहित किये गये निर्देशों / शर्तों के अनुसार तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों / शर्तों से शासित होंगे।
13. अनुबन्ध अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ता (डीए) तथा गृह किराया भत्ता (एचआरए) देय नहीं होगा।
14. पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये गये मुख्य विधि सहायक की सेवा कभी भी बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के समाप्त की जा सकती है।
15. रिक्तियों के अनुसार सम्बंधित संवर्ग (कैडर) के सेवा निवृत्त रेल सेवक ही आवेदन करने के पात्र होगें। सम्बंधित कैडर से किसी भी रेलवे के सेवा निवृत्त कर्मी आवेदन करने के पात्र होंगे। केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) प्रशासन कार्य की अपेक्षा के अनुसार कार्य वितरण कर सकता है।
16. यदि किसी पुनर्नियोजित कर्मचारी का देहान्त पुनर्नियोजन के दौरान हो जाता है तो उनके आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
17. यदि नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं, तो पुनर्नियोजन को पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
18. पुनर्नियोजन किये गये कर्मचारी किसी भी प्रकार की छुट्टी, जैसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश अथवा बीमारी छुट्टी इत्यादि का पात्र नहीं होगा। यदि कोई अनुपस्थिति होती हे तो मासिक पारिश्रमिक नियमानुसार कटौती की जायेगी।
19. आवेदनकर्ताओं का पुनर्नियोजन नामित कमेटी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियम एवं शर्तों के लिए एक अनुबन्ध पत्र उपलब्ध करायेगा।
21. यह योजना दिनांक 14.10.2026 तक ही वैध होगी। कालान्तर में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
22. जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उपरोक्त रिक्त पदों के लिए पुनर्नियोजन हेतु इच्छुक हो, कृपया अपने आवेदनों को कार्मिक विभाग/ कोर/ प्रयागराज कार्यालय के हॉल में इसके लिए रखे गये बाक्स

02/4/2

में अपना आवदेन डाल/डलवा सकते है। इसके साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी साधारण डाक से भी प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, नवाब युसूफ रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, पिन कोड- 211001 को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक-11.05.2026 को सांयकाल 17.00 बजे तक होगी। 17.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

23. आवेदन पत्र का प्रारूप अधिसूचना के साथ संलग्न है।

अतः भारतीय रेलवे से दिनांक 30.04.2026 तक सेवानिवृत्त हो चुके रेल कर्मचारी (मुख्य विधि सहायक, पे लेवल-7) जो तथा रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्याः E(NG) 11/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024, 31.12.2024 एवं 20.06.2025 में निहित निर्देशों में दिये गये शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कोर संगठन के विभिन्न इकाईयों (मुख्यालय/ प्रयागराज एवं रेल विद्युतीकरण/ सिकन्दराबाद) में कार्य करने हेतु इच्छुक हो, वे निर्धारित प्रोफार्मा में सभी अनुलग्नकों सहित बन्द लिफाफे में लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करते हुए अपना आवेदन कर सकते है। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, नवाब युसूफ रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, पिन कोड- 211001 कार्यालय में आवेदन पहूँचने की अंतिम तिथि दिनांक 11.05.2026 है। विस्तृत अधिसूचना केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के वेबसाईट www.core.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक- आवेदन पत्र का प्रारूप।

07/04/2026

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ कोर/ प्रयागराज

O/C

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव/ (महाप्रबंधक/कोर) को, महाप्रबंधक महोदय के सादर संज्ञान में लाने हेतु।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख मुख्य संकेत व दूरसंचार इंजीनियर, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, प्रमुख वित्त सलाहकार, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी/ कोर/ प्रयागराज
3. महाप्रबंधक (कार्मिक)/ उत्तर मध्य रेलवे/ प्रयागराज
4. महाप्रबंधक (कार्मिक)/ दक्षिण मध्य रेलवे/ सिकन्दराबाद
5. उप मुख्य विद्युत इंजीनियर/ रेल विद्युतीकरण/ सिकन्दराबाद
6. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/ कोर/ प्रयागराज

02.4.26

सेवा में,

महाप्रबंधक (कार्मिक)
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
प्रयागराज

पासपोर्ट साईज का नवीनतम
फोटो चिपकायें

विषय-सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को संविदा के आधार पर पुर्ननियोजन (Re-engagement) हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ- (1) महाप्रबंधक (कार्मिक), केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज का अधिसूचना सं० E/CORE/1/ 19/ Engagement/ 2015 दिनांक 02.04.2026

2. रेलवे बोर्ड का परिपत्र संख्या- ई(एनजी)II/2024/आरसी-4/9 दिनांक 15.10.2024, 31.12.2024 एवं 20.06.2025 में निहित निर्देशानुसार

1. नाम
 हिन्दी :-
 अंग्रेजी (In Block letters) :-

2. पिता का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. सेवानिवृत्ति संबंधी विवरण
I पदनाम :-
ii सेवानिवृत्ति की तिथि एवं कार्यालय :-
iii. वेतनमान एवं पे लेवल/ग्रेड पे :-
IV. अंतिम मूल वेतन :-
V. मूल पेंशन की राशि :-
VI. DAR/SPE/Vig Cases से मुक्त थे :- हॉ/ नहीं
vii. सेवानिवृत्ति के समय कार्य स्थल :-
Viii. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता:-..
.

8. आवेदित पद का विवरण :-
I. पदनाम :-
ii. वेतनमान एवं पे लेवल एवं ग्रेड पे :-
iii पत्राचार का पता :-
.

6. सम्पर्क नंम्बर (मोबाईल एवं ई. मेल)
I. सेवा प्रमाण पत्र की प्रति :-
ii पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति :-
iii अंतिम वेतन पर्ची की प्रति :-
IV आधार एवं पैन की प्रति :-

घोषणा

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं उपरोक्त के संबंध में किसी भी अपूर्ण / गलत सूचना के लिए स्वंय जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी तथा ऐसी स्थिति में मेरी दावेदारी को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का रेल प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा। मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड / कोर संगठन के द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का अनुपालन करूँगा/ करूँगी।

दिनांक हस्ताक्षर

स्थान नाम

02.6.26